कार्यालय नियंत्रक, नाप तौल, म.प्र. भोपाल

क्रमांक 4692/नातौ/अ–1/2006, भोपाल दिनांक 4.11.06

प्रति,

समस्त उप/सहायक नियंत्रक
निरीक्षक
नाप तौल, म.प्र.

विषयः– इलेक्ट्रानिक तौल उपकरणों का सत्यापन/मुद्रांकन प्रमाण–पत्र जारी करने बावत्।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र कं. 1871/नातौ/अ–1(1)एफ–92/2004 भोपाल दिनांक 29.4.04 एवं पत्र कं. 4276/नातौ/अ–1(1)/06 भोपाल दिनांक 29.9.06,

संदर्भित पत्रों द्वारा पूर्व में इस कार्यालय द्वारा इलेक्ट्रानिक तौल यंत्रों के सत्यापन एवं मुद्रांकन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये थे। भारत शासन द्वारा जारी ज्ञापन कं. डब्ल्यू एम–21(14)/91 नई दिल्ली दिनांक 25.5.2000 के अनुसार इलेक्ट्रानिक तौल उपकरणों में आटो केलीब्रेशन की सुविधा केवल उन्ही उपकरणों के लिए वैध है जिनमें एफ–2 श्रेणी के (कार्यकारी मानक स्तर) बांट से केलिब्रेशन किया जा सकता हो। उदाहरण के तौर पर यदि कोई इलेक्ट्रानिक तौल उपकरण एफ–2(कार्यकारी मानक स्तर) द्वारा केलीब्रेट किया जाये तो वह 5 किग्रा. + अथवा –75 मिलीग्राम तक की टालरेन्स वाले बांट से ही केलीब्रेशन स्वीकार करेंगे यदि इससे कम या ज्यादा त्रुटि वाले बांट रखकर केलीब्रेशन किया जाता है तो वह इलेक्ट्रानिक तौल उपकरणों ऐसे बांट से केलीब्रेशन स्वीकार नही करेगा। उदाहरण के लिये 5 किग्रा. के निर्धारित कार्यकारी मानक स्तर से भिन्न 4.995 ग्राम या 5.005 ग्राम वाला बांट रखने पर भी यदि मशीन केलीब्रेट हो जाती है तो इस तरह की मशीन सत्यापित न की जाये उसे सत्यापन मुद्रांकन से अस्वीकृत किया जाये एवं इसमें से यह केलिब्रेशन सुविधा पृथक करने के पश्चात ही सत्यापन की कार्यवाही की जावें।

नियंत्रक
नाप तौल म.प्र. भोपाल